

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर -राज0

पीठासीन अधिकारी : महावीर प्रसाद शर्मा, तहसीलदार

मिसल संख्या 86/2017

किस्म मुकदमा :

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 14/3/2018

निर्णय दिनांक : 22/5/2018

राजस्थान सरकार

बनाम

पेमाराम पुत्र नाथूराम

जाति कुम्हार नि0 पलाड़ा

-: उनवान :-

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनु. प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सरगौठ द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पेमाराम पुत्र नाथूराम जाति कुम्हार निवासी पलाड़ा में ग्राम हनुमानपुरा के खसरा नम्बर 1040 कुल रकबा 0.37 हैक्टेयर में से रकबा 0.0384 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता भूमि पर सम्वत् 2074 में बाड लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटीस जारी किया गया। नोटीस की प्रति गैर सायल पेमाराम स्वयं ने प्राप्त की। गैर सायल ने उपस्थित होकर दिनांक 28.03.2018 को जवाब पेश किया। गैर सायल को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिए गए।

गैर सायल द्वारा जवाब में ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि जिससे प्रार्थना-पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि हो सके एवं न ही विधिक साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि गैर सायल ने जानबूझकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहा है।

गैर सायल को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा ग्राम हनुमानपुरा के आराजी राज खसरा नम्बर 1040 कुल रकबा 0.37 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता भूमि में से रकबा 0.0384 हैक्टेयर भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप गैर सायल पर

लगान 0.23 का पच्चास गुणा से राशि 12/- अक्षरे बारह रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है। पटवारी हल्का को वसूली हेतु तथा भू अ. निरीक्षक को गैर सायल को मौके से बेदखल कर भूमि कब्जा सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावे। आरोपित शरित की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाइ जावे।

पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील दफतर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 22/5/18 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

*BHU*  
22-5-18

(महशूर पत्रावली शुमा)  
तहसीलदार  
जिला नागौर - राज0